

**सावधान:** कहीं आप भी अपने बच्चों को खतरनाक और हानिकारक खिलौने तो नहीं दे रहे

ज्ञात है कि छिलौनों को भारतीय मानक व्यूरो द्वारा अनिवार्य पंजीकरण ध्रेणों में रखा गया है, जिसमें गुणवत्ता नियंत्रण आदेश 2020 के तहन आईएसआई मार्क लगाना जरूरी होता है, इसी के उल्लंघन के संबंध में प्राप्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई करने हुए, भारतीय मानक व्यूरो (चॉआईएस), गाजियाबाद शास्त्रा कार्यालय के शास्त्रा प्रमुख श्री कुमार अनिषेष जी के नेतृत्व में गणित अधिकारियों की एक टीम ने 5 जुलाई, 2024 को दुकान संछया 3-109, टॉय जॉय, प्रांक ग्रांड सिटी वॉक कानोशाया, सिद्धार्थ विहार, गाजियाबाद में एक प्रयत्न स्थापित की। द्वारा ये के दैग्न पाया गया कि दुकान

मेरे इलोकिटूक और नाना का उल्लंघन है। वीआईएस इलेक्ट्रिक डिलॉनों का, भाँडारण अधिनियम 2016 की धारा और विव्रेत किया जा रहा था। 17(1)(ए) का उल्लंघन



खिलौने वर 15644-2006 और  
क्र 9873 :2019 द्वारा ३। के  
अनुसार यी शाइएस प्रमाणित  
नहों थे, जो खिलौनों ( अनियार्थ  
प्रांजीकरण की आवश्यकता )  
गणवाटा नियन्त्रण आदेस 2020

करने पर दो वर्ष तक का कारायास या न्यूनतम 2,00,000 रुपये का जुमारा या दोनों सजा हें सकते हैं। दुकान से मिले 100 से अधिक छिलौने को जब कर सपरिदारी

में रखा गया है और साथ्य वे  
रुप में कुछ खिलीने अपने साथ  
झाँखा ले गए। इस अपराध के  
लिए माननीय न्यायालय में  
मामला दर्ज करने की कार्रवाई  
शुरू की जा रही है।

इस छापेमारी में भारतीय मानक व्यूरो गणित्यावाद शास्त्र के संयुक्त निदेशक श्री नवीन कुमार अरोड़ा, उप निदेशक श्री हारिओम माणा, ये जुनून इन्होनीधर श्री डॉहुस कुमार, यजर प्रमापनि, सूरज कुमार शामिल हैं, जिन्हें गणित्यावाद पुस्तक प्रशासन की सद्व्योग मिला और सबके प्रयास से छापेमारी राफल रही।

अत मे शास्त्र प्रमुख ने  
बताया कि गाजियाबाद शास्त्र  
द्वारा खलाए जा रहे उपर्योक्त  
जागरूक हैं। अभियान ही

उपभोक्ता जागरूक और सज्जा हुए हैं, और किसी भी तरह की लड़ी या अनिवार्य लाइसेंस के उल्लंघन को शिकायत करते हैं, यारंतोय मानक व्यूंग सम्पर्क उपभोक्ताओं को बीआईएस के प्रति एप (मोबाइल एंड्रोइड और आईओएस दोनों में उपलब्ध) का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है ताकि बीआईएस प्रमाणित अनिवार्य उत्पादों की सूची का पता लगाया जा सके और यद्यपि भी अनुरोध किया जाता है कि खरीद से भले ही बीआईएस के प्रति एप या वेबसाइट <http://www.bis.gov.in> पर जाकर उत्पाद पर आईएस आई शार्क को यारंतविकास की जांच करें। नार्गीरकों से अनुरोध है कि यदि उन्हें ऐसा कांटा

मामला नजर आए, जहाँ  
अनियार्थ उत्पाद बिना इक्व  
प्रयोगन के बेचे जा रहे हों,  
या जहाँ किसी उत्पाद पर  
कल्क मार्क का दुरुपयोग हो  
रहा हो, तो इसकी सूचना  
पर ई-मेल द्वारा भी को जा  
सकती है। ऐसी जानकारी  
का स्रोत गोपनीय रखा  
जाएगा। दौरा आई ऐस  
अधिनियम, 2016 के  
अनुसार, कोई भी व्यक्ति  
किसी ऐसे सामान का  
निर्माण, आवात, वितरण,  
विक्री, किराए पर लेना, पढ़े  
पर देना, भेंटाण या विक्री  
के लिए प्रयोगन नहीं करेगा,  
जो अनियार्थ पंजाकरण की  
आवश्यकता , गुणवत्ता  
नियंत्रण अटंडा, 2020 के  
अंतर्गत आता है।

# Over 100 Non-Certified Toys Seized in Ghaziabad BIS Raid : Know Here

BV Correspondent, New Delhi.

An enforcement search was conducted at shop number C-109, Toy Joy, Prateek Grand City Walk Carnesia, Siddharth Vihar, Ghaziabad, by representatives from the BIS Ghaziabad Branch Office on July 5. The Bureau of Indian Standards (BIS) recognizes that toys are required to be registered, and the Quality Control Order 2020 stipulates that toys must have the ISI mark.

The team acted swiftly upon receiving information regarding violations of this requirement. It was discovered that the shop was keeping and selling both electric and non-electric toys during the raid. According to IS 15644:2006 and IS 9873:2019 Part I, the toys were not BIS certified, which is in violation of Toys (Mandatory Registration Requirement) Quality Control Order 2020. The BIS Act of 2016's Section 17(1)(A) stipulates a maximum term of two years in prison, a minimum fine of ₹2,00,000, or both. More than 100 toys were taken from the shop and put under guard; some were brought to the



branch office for use as evidence. A case is being filed for this violation in the honorable court. Legal proceedings are being initiated. Mr. Naveen Kumar Arora, Joint Director of the BIS Ghaziabad Branch; Mr. Harlon Meena, Deputy Director; Mr.

Rahul Kumar, Graduate Engineer; Raju Prajapati, and Suraj Kumar were all involved in the raid. The Ghaziabad Police Administration helped them, and their combined efforts made the raid a success. The Branch Head concluded by

stating that the Ghaziabad Branch's consumer awareness program has increased consumer knowledge and vigilance, encouraging people to report any fraud or violations of required licenses. For the purpose of locating the list of BIS-certified necessary products, the Bureau of Indian Standards recommends all customers utilize the BIS Care App, which is accessible on both Android and iOS platforms. Before making a purchase, customers are also asked to confirm the legitimacy of the ISI mark on products by using the BIS Care App or going to the website <http://www.bis.gov.in>. The public is asked to report any cases in which required products are being offered without a BIS certification or where the ISI mark is being improperly utilized. You can accomplish this by contacting [gzbis@bis.gov.in](mailto:gzbis@bis.gov.in) or using the BIS Care App. The identity of the Information provider will remain confidential. According to the BIS Act of 2016, no one may manufacture, import, distribute, sell, rent, lease, store, or display goods for sale if they must be registered in accordance with the Quality Control Order of 2020.

# सावधान: कहीं आप भी अपने बच्चों को खतरनाक और हानिकारक खिलौने तो नहीं दे रहे

नई दिल्ली, (आइएनएम)।

खिलौने को भारतीय मरक ब्याग द्वारा अनिवार्य पंजीकरण देने में रखा गया है, जिसमें गुपतवाहा नियंत्रण आदेश 2020 के तहत अधिकार अर्थ सर्व सामान जरूरी होता है, इसी के डाकघर के संबंध में ग्राम सूचना पर स्वीकृत कर्तव्य करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो (बीओईएस), गर्जियाबाद शाही कालानीय के शही प्रमुख श्री कुमार अलिमेय जी के नेतृत्व में गोली अधिकारियों को एक टीम ने 5 जुलाई, 2024 को दुकान मंडपा C- 109, टीप नॉट, प्रतीक ग्राउंड, मिठी लौक कालानीय, मिठीगढ़ लिफ्ट, गर्जियाबाद में एक ड्रवर्स घोषणाएँ की। घोषणाएँ के दैशन पाया गया कि दुकान में इलेक्ट्रिक



और नाम इलेक्ट्रिक खिलौनों का, भंडारण और बिक्री किया जा सकता है। खिलौने IS 15644:2006 और IS 9873:2019 part 1 के अनुसार बीओईएस प्राप्तिगत नहीं है,

जो खिलौने (अनिवार्य पंजीकरण की अवधारणा) गुपतवाहा नियंत्रण आदेश 2020 का डाकघर है। बीओईएस अधिकार 2016 को शायद एप्प 17(1)(ए) का उल्लंघन करते

पर दो वर्ष तक का कालानाम या न्यूनतम 2,00,000 रुपये का बुखार या दोनों मध्य से शक्ति है। दुकान में यिले 100 में अधिक खिलौने को जबकर गुपतवाहा में रखा गया है और माल के साथ में कुछ खिलौने अपने गायथ शही पर स्थापित किया जाता है, तो जबकि भी उत्तर की ओर या अनिवार्य स्थापित के उल्लंघन को लिया जाता है, भारतीय मरक ब्यूरो सभी ड्राफ्ट्समार्कों को बीओईएस के द्वारा ऐप (प्रेवाइट एंड्रोइड और आईओएस दोनों में डाउनलोड) का उपयोग करने के लिए ग्रामार्थित करता है ताकि बीओईएस प्राप्तिगत अनिवार्य उल्लंघन की मुद्दी का पता लाजाया जा सके और यह भी अनुरोध किया जाता है कि खुराने से पहले बीओईएस कैप्चर एप या लेवराइट <http://www.bis.gov.in> पर डाकघर ड्रवर्स पर अधिकार अर्थ सार्व की

बालाकिला की जांच करें। नार्सिकों में अनुरोध है कि यदि उन्हें ऐसा कोई मालता नज़र आए, तो अनिवार्य उल्लंघन बिना BIS प्राप्तिगत के बेवे जा याएं हैं, या जब किसी उल्लंघन पर BIS प्राप्त का दुरुपयोग से रखा है, तो इसकी मृच्छना BIS care app या <http://www.bis.gov.in> पर ई-मेल द्वारा भी की जा सकती है। ऐसी जानकारी ज्ञान से बचाव के लिए ग्रामार्थ रख लाएं। बीओईएस अधिकार 2016 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे सामान का लिप्ती, आपात, वितरण, बिक्री, विक्रय, पर लेना, पहुंच पर देना, भंडारण या विक्री के लिए प्रदान नहीं करेगा, जो अनिवार्य पंजीकरण को अवधारणा, गुपतवाहा नियंत्रण आदेश, 2020 के अंतर्गत आता है।

# छापेमारी कर 100 से ज्यादा खिलौने किए जल्द

जासं, साहिवावाद : सिद्धार्थ विहार में मानक के विपरीत बने खिलौने बेचने वाली दुकान पर शनिवार को भारतीय मानक व्यूरो (वीआइएस) ने छापेमारी कर 100 से ज्यादा खिलौने जब्त किए। इससे बच्चों की सहेत खराब होने का खतरा रहता है। वीआइएस को दुकान संख्या सी-109, टाय जाय दुकान, प्रतीक ग्रांड सिटी वाक कानेशिया, सिद्धार्थ विहार में नक्ली खिलौने विक्री होने की सूचना मिली थी। वीआइएस संयुक्त निदेशक नवीन कुमार अरोड़ा, उप निदेशक हरिओम मोणा, राहुल कुमार, राजू प्रजापति, सूरज कुमार की टीम ने दुकान पर छापेमारी की। बिना मानक के बने खिलौनों से बच्चों की सहेत खराब हो सकती है। रिसाइकिल प्लास्टिक से



वीआइएस टीम द्वारा फर्जी खिलौने की फैक्ट्री से वरामद खिलौने • सौरभ आइएस

बने सभी खिलौने स्वास्थ्य के लिए किए गए प्लास्टिक में इसकी मात्रा खतरनाक होते हैं। इसमें दायोक्सीन निर्धारण के लिए कोई मानक तय नहीं रसायन उच्च मात्रा में होता है। जब बच्चे इन खिलौनों से खेलते हुए उसे मुंह में लेते हैं तो रसायन शरीर में चला जाता है। इससे बच्चों के दिमाणी विकास, रोग प्रतिरोधक

क्षमता, थायराइड सिस्टम को प्रभावित करने, दायोक्सीन कैंसर का कारण बन सकते हैं।

आरोपित एक वर्ष से बेच रहा था खिलौने: वीआइएस को पता चला है कि आरोपित एक वर्ष से इस तरह के खिलौने बेच रहा था। वीआइएस टीम को यह पता नहीं चला है कि आखिर यह खिलौने बन कर हो रहे थे? वीआइएस शाखा प्रमुख कुमार अनिमेष ने बताया कि यदि खिलौनों पर आइएसआइ मार्क नहीं है तो खिलौने पर नंबर लिखा गया है। इस पर को बाइआइएस केरर एप पर दालकर देख सकते हैं। इससे उसके असली-नक्ली होने का पता चल जाएगा। वीआइएस केरर एप पर ही आप शिक्कायत भी कर सकते हैं।